संठसं0 3/न्याय–01–16/2017 – 621 (3)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

ईमेल/फैक्स

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना/नालंदा चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना/जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, भागलपुर ।

सिविल सर्जन, आरा/सारण/जहानाबाद/लखीसराय/शिवहर/पूर्वी चम्पारण/मुजफ्फरपुर/प0 चम्पारण/गया/नालंदा/वैशाली/पूर्णियॉं/सुपौल/दरभंगा/अररिया/भागलपुर/बॉंका/खगड़िया/कटिहार/सहरसा/पटना/नवादा/समस्तीपुर ।

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो (शेखपुरा, पटना) ।

क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऍं, पटना प्रमंडल पटना/मगध प्रमंडल गया ।

प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना ।

अपर निदेशक, टी0बी0डी0सी0, दरभंगा ।

क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, पटना।

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण/ अररिया/ भागलपुर/ आरा/ मधुबनी/ कटिहार/ पटना/ बेगूसराय ।

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : 18.10.17

विषयः अवमाननावाद संख्या 1674/2012 एवं समरूप वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को पारित आदेश के आलोक में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों से भुगतान हेतु वॉंछित कागजात की मॉंग करने के संबंध में।

महाशय,

अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में दिनांक 26.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP(Civil) CC संख्या 24758–24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 243(3) दिनांक 22.05.2017 एवं 363(3) दिनांक 10.07.2017 द्वारा दी गई है।

संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा उक्त विभागीय आदेश के आलोक में शपथनामा स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया गया, जिसे महालेखाकार/वित्त(वै0दा0नि0कोष) विभाग को वेतन पर्ची निर्गत करने हेतु विभाग द्वारा भेज दिया गया है जिसकी सूची विभागीय पत्रांक 608(3) दिनांक 13.10.2017 से उपलब्ध कराई गई है । महालेखाकार/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्गत कर दिये जाने की सूचना है । साथ हीं, क्षेत्रीय कार्यालयों से अद्यतन 37 चिकित्सकों का भुगतान कर दिये जाने की भी सूचना है । परन्तु कतिपय चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा वॉंछित कागजात यथा प्राप्त पेंशन का बैंक विवरणी, कैंशिल चेक, PPO Copy, LPC Copy & PAN Card निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनसे संबंधित भुगतान बाधित है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद संख्या 1674/2012 एवं समरूप वादों में दिनांक 11.10.2017 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

``Keeping in view the averments made by the Principal Secretary of the Health Department, Government of Bihar, in the affidavit filed today and the submissions in para 6 and 7 thereof, list the matter on 8th of November, 2017 by which date a report should be submitted to this Court indicating payment to be made to all the 66 individuals affected and who are required to reap the benefit of the order passed in the writ petition.

The Department of Health shall within ten days from today communicate to the individual concerned from whom any documents or papers are required and the individual shall submit the document within one week of the receipt thereof and their claim shall be settled or processed and a report submitted by the next date."

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों का भुगतान वॉछित कागजात अप्राप्त रहने के कारण लंबित है उन्हें वॉछित कागजात जमा करने हेतु शीघ्र निदेशित किया जाय एवं कागजात प्राप्त होते हीं भुगतान प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए अन्यथा विफलता की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । साथ हीं, अनुरोध है कि कृत कार्रवाई एवं बस्तुस्थिति से ससमय अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: 621(3) /स्वा0, पटना, दिनांक: 18.10.17

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07 एवं 12, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित

18/10/17

सरकार के विशेष सचिव

D:\Old System Data New folder\2017\Latter & Order-2017.docx